भाग I

प्रस्तावना

अध्याय 1:

राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर.जी.जी.वी.वाई.) - एक विहंगावलोकन

1.1. ग्रामीण विद्युतीकरण

एक देश की आर्थिक वृद्धि के लिए ग्रामीण विकास और औद्योगीकरण को मूलभूत माना जाता है और विद्युत को एक ऐसे कारक के रूप में देखा जाता है जो कि इस वृद्धि को प्रोत्साहन देता है। बिजली को अब एक विलक्षण वस्तु की तरह नहीं बल्कि एक अनिवार्य और जरूरी आवश्यकता के रूप में देखा जाता है। जिससे आज के समय में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बिजली को मूल मानवीय आवश्यकता के रूप में मान्यता मिली है।

यद्यपि देश के शहरी क्षेत्रों ने बिजली के उपभोग में वृद्धि दर्शाई परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति अभी आदर्श से बहुत दूर है। पिछले वर्षों में, भारत सरकार (जी.ओ.आई.) ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वृद्धि और जीवन की गुणवता में सुधार हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया है। साधारण शब्दों में, ग्रामीण विद्युतीकरण (आर.ई.), का अर्थ ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में बिजली लाना है। इस बिजली को घरेलू प्रयोजनों और खेती के कार्यों के मशीनीकण में प्रयोग किया जा सकता है।

विद्युत अधिनियम 2003 में अधि देश है कि भारत सरकार गाँव और छोटे कस्बों सहित सभी क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति के लिए प्रयास करेगी। विद्युत अधिनियम के अनुसार, भारत सरकार के पास एक सुपरिभाषित अगस्त 2006 में अधिसूचित ग्रामीण विद्युतीकरण नीति (रीपोल) है, जिसका मूल उद्देश्य सभी गाँवो और घरों को बिजली की पहुँच प्रदान कर तेजी से आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना है। रीपोल ने यह संज्ञान लिया कि कृषि और लघु और मध्यम उद्योग-धंधे स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा और सूचना तकनीकी जैसी अन्य आवश्यक गतिविधियों की आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति जाएँ। रीपोल सभी गाँवों में ग्रामीण घरों, दुकानों, सामुदायिक केन्द्रों, सार्वजनिक स्थानों आदि में रोशनी करने के लिए विद्युत की आपूर्ति द्धारा ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन गुणवता में सुधार करने के साथ ही उत्पादक भार के विकास को सुगम बनाना चाहता है। स्थूल रूप से, रीपोल के उद्देश्य है:

- वर्ष 2009 तक सभी घरों को बिजली की पहुँच प्रदान करना;
- उचित दरों पर गुणवता व विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति को सुनिश्चित करना; तथा
- वर्ष 2012 तक 1 यूनिट प्रतिघर प्रतिदिन की न्यूनतम जीवनरेखा उपभोग को आवश्यक वस्तु की स्थिति प्रदान करना।

विद्युत मंत्रालय (एम.ओ.पी.) के ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम का प्रारंभिक लक्ष्य कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई के लिए विद्युतीकरण था। यह ग्रामीण विद्युतीकरण की परिभाषा में प्रदर्शित था जिसे अक्तूबर 1997 तक स्वीकार किया जाता रहा था अर्थात, "एक गाँव को विद्युतीकृत के रूप में वर्गीकृत तभी किया जाएगा यदि उसके राजस्व क्षेत्र में किसी भी प्रयोजन के लिए बिजली का प्रयोग किया जाता है"। तथापि, राज्य सरकारों और राज्य विद्युत बोर्डों (एस.ई.बी.) के परामर्श से, इस परिभाषा की समीक्षा की गई और अक्तूबर 1997 में नई परिभाषा अपनाई गई जिसके अनुसार "एक गाँव को विद्युतीकृत माना जाएगा यदि गाँव की राजस्व परिसीमा के भीतर आबादी वाले इलाके में प्रयोजन के लिए, बिजली का इस्तेमाल किया जाता है"। फरवरी 2004 में, इस परिभाषा को और विस्तृत किया गया और एक गाँव को तभी विद्युतीकृत माना गया यदि:

- आबादी वाले स्थानों और दलित बस्ती/गाँव जहाँ वे मौजूद है, ये मूलभूत अक्संरचना जैसे वितरण ट्रांसफॉरमर और वितरण लाइनें प्रदान की गई हो (गैर परम्परागत विद्युत स्रोतो से विद्युतीकरण के लिए वितरण ट्रांसफार्मर आवश्यक नही है);
- सार्वजनिक स्थानों जैसे स्कूलों, पंचायत कार्यालयों, स्वास्थ्य केन्द्रों, चिकित्सालयों, समुदायिक केन्द्रों आदि में बिजली प्रदान की गई हो; तथा
- विद्युतीकृत घरों की संख्या गाँव के सभी घरों की कुल संख्या के कम से कम 10 *प्रतिशत* हो।

1.2. विद्युतीकरण की स्थिति

1947 में, केवल 1500 गाँव ही विद्युतीकृत थे और प्रति व्यक्ति उपभोग 14 यूनिट था। तब से भारत सरकार ने कई ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम का प्रारंभ किये जैसे::

- न्यूनतम आवश्यकताएँ कार्यक्रम (एम.एन.पी.) के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण;
- प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (पी.एम.जी.वाई.);
- कुटीर ज्योति योजना;
- त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम (ए.आर.इ.पी.); तथा
- एक लाख गाँवों और एक करोड़ घरों (ए.ई.ओ.एल.वी.ओ.सी.एच.) का त्वरित विद्युतीकरण।

शत प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य के लिए इन प्रयासों के बावजूद भी 2001 तक केवल 43.53 *प्रतिशत* ग्रामीण घरों को ही विद्युत प्रदान की गई थी। 2001 की जनगणना के अनुसार एक लाख से ज्यादा गाँव और लगभग 7.80 करोड़ ग्रामीण घरों का विद्युतीकरण बाकी था। आर.जी.जी.वी.वाई. के आरम्भ से पहले, 31 मार्च 2004 को ग्रामीण विद्युतीकरण की स्थिति को पदर्शित करने वाले मुख्य संकेतक **तालिका 1** व **चित्र 1** में दिए गए है। प्रचलित परिभाषा (2004) के अनुसार भारत के 81 *प्रतिशत* गांव विद्युतीकृत हो चुके थे। गाँव और ग्रामीण घरों के विद्युतीकरण के

राज्यवार विवरण **अनुलग्नक 1** व **2** में दिया गया है। आर.जी.जी.वी.वाई. को मुख्य रूप से शेष अविद्युतीकृत गाँवों के विद्युतीकरण के लिए ही प्रारम्भ किया गया था।

तालिका 1: 31 मार्च 2004 तक ग्रामीण विद्युतीकरण के मूल संकेतक

1991 की जनगणना[1] के आधार पर कुल गाँव	विद्युतीकृत कुल गाँव	शेष अविद्युतीकृत गाँव	अविद्युतीकृत गाँवों का प्रतिशत
5,87,556	4,74,982	1,12,401*	19.13

** ग्रामीण विद्युतीकरण की नई परिभाषा (2004–05 से प्रभावी) के अनुसार*

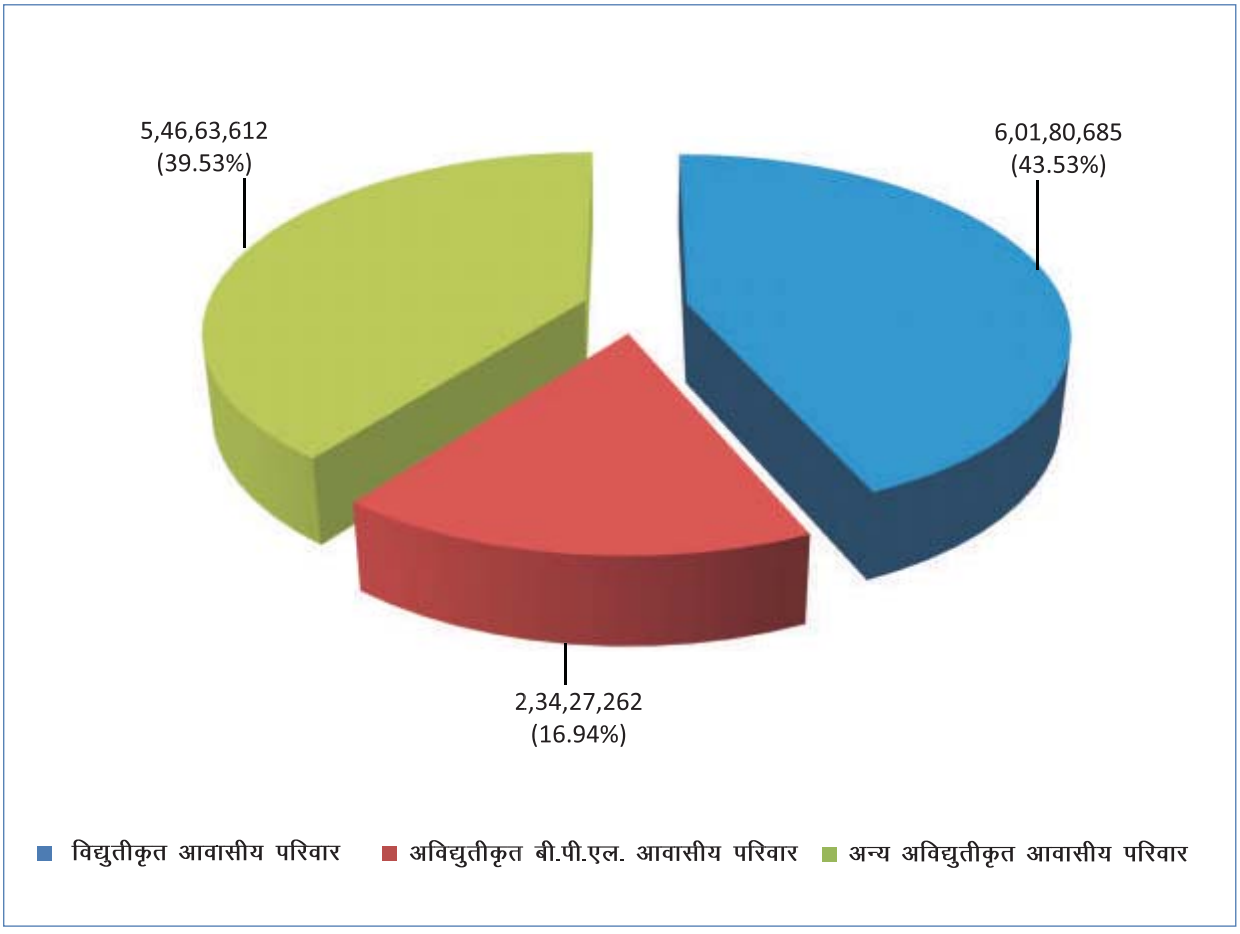

चित्र 1: ग्रामीण विद्युतीकरण के मूल संकेतक (2001 जनगणना)

[1] विद्युत मंत्रालय के आर.जी.जी.वी.वाई के कार्यालय ज्ञापन दिनाँक 18 मार्च 2005 में गाँवों की संख्या 1991 की जनगणना के अनुसार ली गयी है।

1.3. राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर.जी.जी.वी.वाई)

विद्युत मंत्रालय ने ग्रामीण विद्युतीकरण को त्वरित गति देने के लिए मार्च 2005 में राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना लागू की। ऐसा करते हुए विद्युत मंत्रालय ने, भारत सरकार के वर्तमान में चल रहे सभी ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमों को आर.जी.जी.वी.वाई में सम्मलित कर दिया। आर.जी.जी.वी.वाई के मुख्य उद्देश्य निम्न थेः

- सभी गाँवों एवं आवासों का विद्युतीकरण करना,
- सभी घरों तक बिजली की पहुँच प्रदान करना,
- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों (बी.पी.एल.) को निःशुल्क बिजली के कनेक्शन उपलब्ध करवाना,
- सिंचाई, लघु उद्योगों, कोल्ड चेन, स्वास्थ्य सुरक्षा, शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी आदि के द्वारा त्वरित ग्रामीण विकास, रोज़गार सृजन और गरीबी दूर करना,
- ग्रामीण और शहरी अन्तराल को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वसनीय और गुणवत्तायुक्त विद्युत की आपूर्ति करना।

पिछले कार्यक्रमों में ग्रामीण क्षेत्रों में, विद्युतीकरण का प्रारंभिक लक्ष्य सिंचाई था और इसके लिए कम क्षमता वाली लाइन (एल.टी.) टुकड़ों में डाली गयी थी जिसका परिणाम अविश्वसनीय और सीमित घंटों के लिए विद्युत आपूर्ति थी, जबकि इस नये कार्यक्रम में ग्रामीण विद्युत के बुनियादी ढाँचें में गुणात्मक रूपांतरण करना था जिसे **चित्र–2** में दर्शाया गया है।

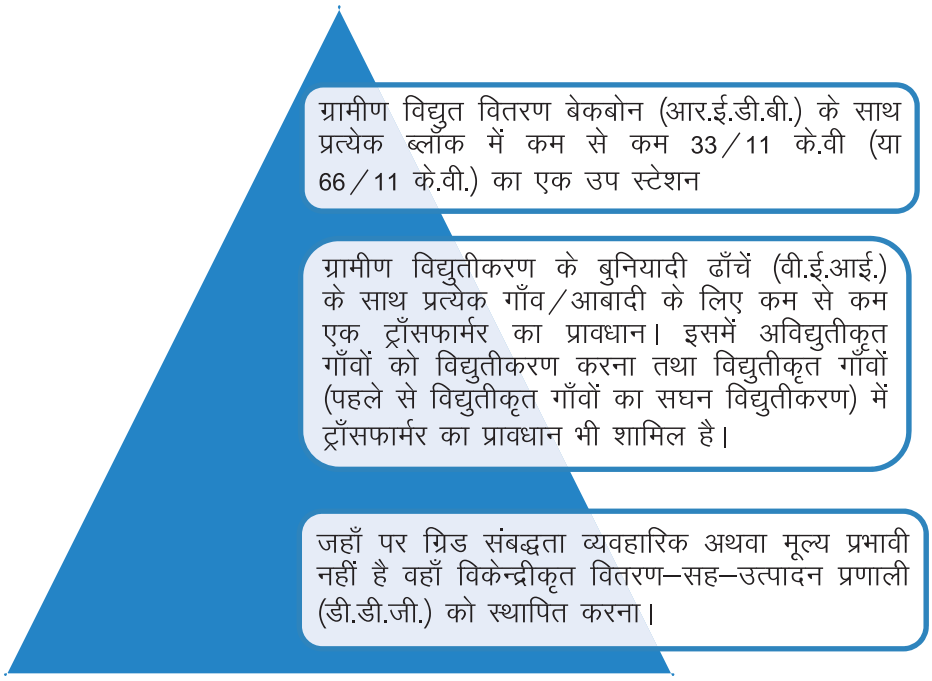

चित्र 2: आर.जी.जी.वी.वाई के अन्तर्गत बुनियादी ढाँचा

आर.जी.जी.वी.वाई, राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम (एन.सी.एम.पी.) के अन्तर्गत आवास विद्युतीकरण की प्रतिबद्धता को पाँच वर्षों में, 2009 तक पूरा करने के लिए, आरम्भ की गयी थी। वर्ष 2009 तक, विद्युतीकरण के लिए 1,25,000 अविद्युतीकृत गाँव और 2.34 करोड़ बी.पी.एल. आवासों को मुफ्त विद्युत कनैक्शन उपलब्ध कराने के साथ–साथ 7.8 करोड़ ग्रामीण आवासों (आर.एच.एच.) को विद्युतीकरण करने का लक्ष्य था। जनवरी 2008 में इस योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2012 तक बढ़ा दिया गया। वर्षवार ग्रामीण विद्युतीकरण के निर्धारित लक्ष्य **तालिका 2** में दर्शाये गये हैं:

तालिका 2: आर.जी.जी.वी.वाई. के अन्तर्गत लक्ष्य

वर्ष	पूरे देश में अविद्युतीकृत गाँवों को विद्युतीकरण करने का निर्धारित लक्ष्य
2005-06	10,000
2006-07	40,101#
2007-08	9,000
2008-09	15,000
2009-10	17,500
2010-11	17,500
2011-12	14,500

 # इसमें विद्युतीकृत गाँव भी शामिल है।

(स्रोत: ग्रामीण विद्युतीकरण निगम)

ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तायुक्त विद्युत आपूर्ति और राजस्व स्थायित्व को ध्यान में रखते हुए पिछली योजनाओं की तुलना में आर.जी.जी.वी.वाई में उच्च स्तर की पूँजी सब्सिडी का प्रावधान है, जिसका विवरण निम्न है:

- परियोजना के पूरी लागत का 90 *प्रतिशत* पूँजी सब्सिडी प्रदान करना।
- राज्यों को अनिवार्य रूप से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति के घण्टों के वितरण में बिना भेदभाव किये विद्युत आपूर्ति की पर्याप्त व्यवस्था करना।
- परियोजना की स्वीकृति पूर्व राज्यों से यह प्रतिबद्धता लेना था कि :
  - *योजना के अंतर्गत वित्तपोषित परियोजना में ग्रामीण विद्युत वितरण प्रबन्धन के लिए फ्रैंचाइजी नियुक्त करना और*
  - *विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत राज्य यूटिलिटीज के लिए राजस्व सहायता का अपेक्षित प्रावधान करना।*

1.4. प्रधान साझेदारों की भूमिका

परियोजना की योजना, क्रियान्वयन व निगरानी में शामिल विभिन्न तत्वों की भूमिका **चित्र 3** में दर्शायी गई है।

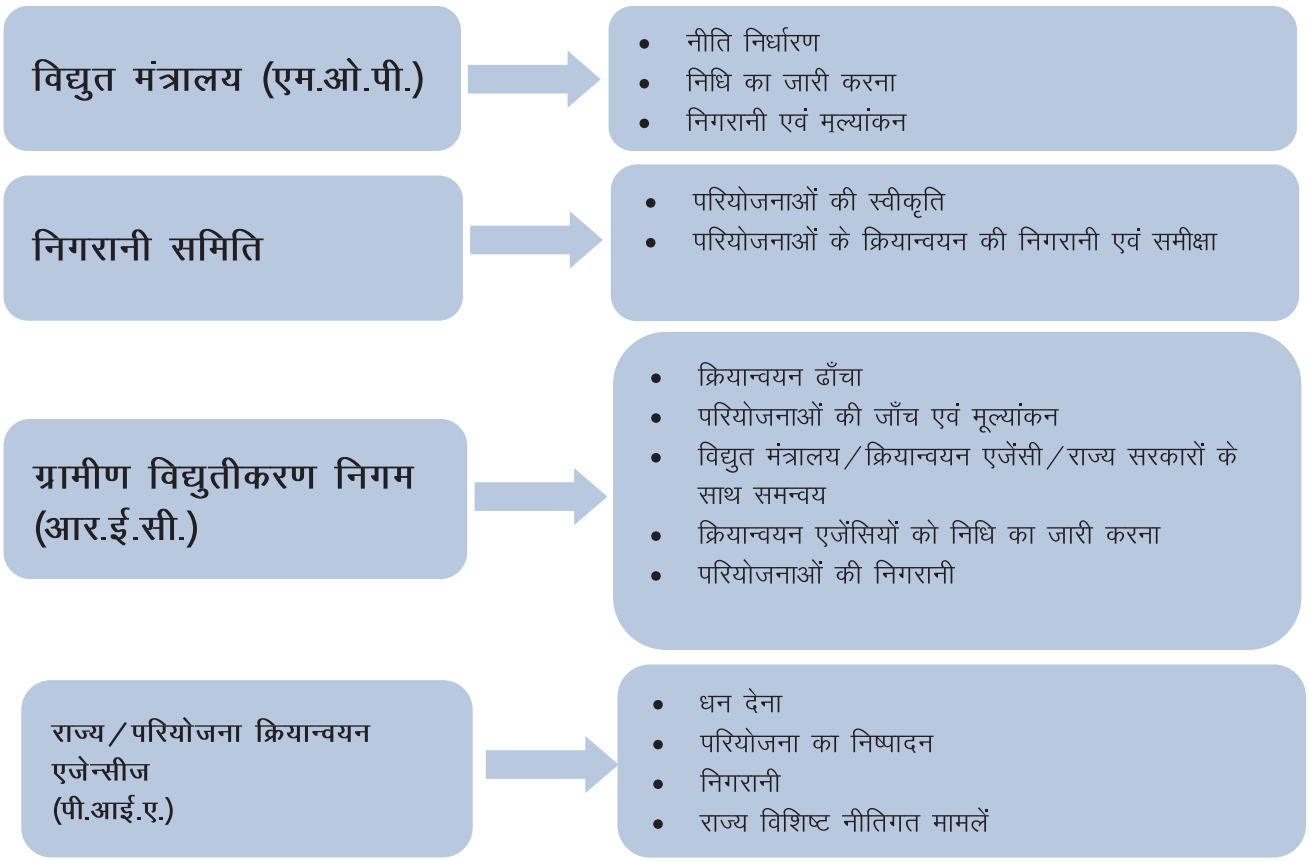

चित्र 3: संगठन संरचना

1.4.1. विद्युत मंत्रालय (एम.ओ.पी.)

आर.जी.जी.वाई के क्रियान्वयन हेतु विद्युत मंत्रालय नोडल मंत्रालय था। नोडल मंत्रालय को सचिव, विद्युत मंत्रालय की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति (एम.सी.) बनानी थी, जो योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समय–समय पर आवश्यक दिशानिर्देशों को जारी के अतिरिक्त परियोजना की स्वीकृति, संशोधित लागत अनुमान, योजना के क्रियान्वयन की निगरानी एवं समीक्षा के लिए जिम्मेदार थी।

1.4.2. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आर.ई.सी.)

आर.ई.सी., आर.जी.जी.वी.वाई के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी थी। इस कार्यक्रम हेतु सभी निधियों का आबंटन आर.ई.सी. के माध्यम से होना था, जिसे भारत सरकार द्वारा दी गई पूँजीगत सब्सिडी को जारी करना और शेष निधि को आवश्यकता अनुसार आसान शर्तों पर ऋण सहायता के रूप में जारी करना था।

परियोजनाओं की वित्त पोषण के अतिरिक्त, आर.ई.सी. को गुणवत्ता और सामयिक क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, एक ऐसा क्रियान्वयन ढाँचा तैयार करना था जिसमें क्षेत्रीय मूल्यांकन और समवर्ती निगरानी और मूल्यांकन के साथ–साथ, तकनीकी विशिष्टयों का सूत्रीकरण खरीद और निविदा की शर्तें, परियोजना के प्रतिपादन हेतु दिशानिर्देश सम्मिलित थे।

1.4.3. राज्यों/राज्य विद्युत संस्थान (एस.पी.यूज़.)

राज्य सरकारें निम्न के लिए जिम्मेदार थीः

- विद्युत मंत्रालय के परामर्श से ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर.ई.) को अंतिम रूप देना और छः महीने के अन्तर्गत इसे अधिसूचित करना था।
- 10 *प्रतिशत* परियोजना लागत स्वयं के संसाधनों/आर.ई.सी. सहित वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण के माध्यम से योगदान करना।
- योजना के अंतर्गत वित्तपोषित परियोजनाओं में ग्रामीण वितरण के प्रबंधन के लिये फ्रैंचाइजी की नियुक्ति करना।
- विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत, राज्य विद्युत संस्थानों (एस.पी.यू.) के आवश्यक राजस्व सब्सिडी से संबंधित प्रावधान।
- आर.जी.जी.वी.वाई नेटवर्क में प्रतिदिन न्यूनतम 6 से 8 घंटे की विद्युत आपूर्त्ति की प्रतिबद्धता।
- जिले में विद्युतीकरण के विस्तार की समीक्षा, विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता की समीक्षा उपभोक्ता संतुष्टि, ऊर्जा दक्षता और संरक्षण की समीक्षा के लिए गठित जिला समिति की नियमित बैठकों को सुनिश्चित करना।
- आर.जी.जी.वी.वाई की समीक्षा और इसके क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए गठित राज्यस्तीय समन्वय समिति (एस.एल.सी.सी.) की नियमित बैठकों को सुनिश्चित करना।
- अविद्युतीकृत गाँवों और बी.पी.एल. परिवारों की गाँववार सूची उपलब्ध कराना।

1.4.4. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सी.पी.एस.यूज़.)

योजना के कार्यान्वयन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, आर.ई.सी., ने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन.टी.पी.सी.)[2], भारत पावर ग्रिड निगम लिमिटेड (पी.जी.सी.आई.एल.), राष्ट्रीय हाइड्रो–इलैक्ट्रिक पॉवर निगम (एन.एच.पी.सी.),दामोदार घाटी निगम (डी.वी.सी.) के साथ समझौता किया जिससे कि जो राज्य इन संगठनों की परियोजना प्रबंधन दक्षता और योग्यता की सेवाओं के उपयोग के इच्छुक हैं उन्हें यह सेवाएँ उपलब्ध करायी जाये। राज्य इन सेवाओं के लिये सी.पी.एस.यू. की सेवा ले सकते हैं (क) परियोजना निरूपण, (ख) सिस्टम योजना (ग) डिज़ाइन इंजीनियरिंग (घ) माल की खरीद व सेवायें (ङ) निर्माण/क्रियान्वयन/कमीशन और (च) परियोजना की निगरानी और कार्य की गुणवत्ता का पर्यवेक्षण।

1.5. निधिकरण पद्धति

विद्युत मंत्रालय ने नवम्बर 2004 में, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सी.सी.ई.ए.) के समक्ष ग्रामीण विद्युत के बुनियादी ढाँचे और घरेलू विद्युतीकरण (बाद में आर.जी.जी.वी.वाई नामकरण), योजना के अनुमोदन हेतु निम्न लागत विवरण के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

[2] आर.जी.जी.वी.वाई के तहत किये जाने वाले कार्य का कार्यान्वयन एन.टी.पी.सी. ने अपनी सहायक कंपनी एन.टी.पी.सी. विद्युत सप्लाई कम्पनी लिमिटेड को सौंपा गया।

तालिका 3: आर.जी.जी.वी.वाई. के अंतर्गत अनुमोदित लागत अनुमान

क्रसं.	मद का नाम	₹ करोड़ में
1	₹ 6.50 लाख/गाँव की दर से 1,25,000 अविद्युतीकरण गाँवों के विद्युतीकरण के साथ–साथ आर.ई.डी.बी., वी.ई.आई. और 10 प्रतिशत आवासीय परिवारों को अंतिम स्थल सेवा संपर्क (कनेक्टीविटी) करना।	8,125
2	₹ 1 लाख/गाँव की दर से पहले से ही, विद्युतीकृत 4,62,000 गाँवों जिसमें अविद्युतीकृत आवास थे, में बैकवोन नेटवर्क का संवर्धन	4,620
3	बी.पी.एल. के तहत 2.34 करोड़ ग्रामीण आवासीय जनसंख्या को ₹ 1,500 प्रति कनेक्शन की दर से विद्युतीकरण	3,510
4	कुल परियोजना लागत (पूर्णाक)	16,000
5	सब्सिडी घटक	14,750

सी.सी.ई.ए. ने इस परियोजना को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित (दिसम्बर 2004) करते हुए दसवीं योजना (2002–07) की शेष अवधि (2005–07) में सब्सिडी के लिए ₹ 5,000 करोड़ की सहायता का प्रावधान किया।

विद्युत मंत्रालय ने सितम्बर 2007 में योजना को 11वीं पंचवर्षीय योजना में जारी रखने हेतु पुनः सी.सी.ई.ए. को अनुमोदन के लिए संशोधित लागत ₹ 51,955[3] करोड़ (₹ 46,812 करोड़ 90 प्रतिशत सब्सिडी घटक) के साथ प्रस्ताव भेजा। इस संशोधित योजना से 1.25 लाख अविद्युतीकृत गाँव और 2.5 करोड़ बी.पी.एल. आवासों को शामिल करना अपेक्षित था।

संशोधित लागत की गणना करते समय बहुत से घटकों के मानदण्ड भी संशोधित किये थे जो **तालिका 4** में दिखाये गये हैं।

तालिका 4: आर.जी.जी.वी.वाई. के लिए अनुमोदित अनुमानित लागत

क्र.सं.	मदों के नाम	11वीं पंचवर्षीय योजना में लागत
1	अविद्युतीकरण गाँवों का विद्युतीकरण	₹ 13 लाख/गाँव (सामान्य क्षेत्रों में) की दर से ₹ 18 लाख/गाँव (पहाड़ी, आदिवासी, मरूस्थली क्षेत्रों के लिए) की दर से
2	पूर्व विद्युतीकृत गाँवों का गहन विद्युतीकरण	₹ 4 लाख/गाँव (सामान्य क्षेत्रों में) की दर से ₹ 6 लाख/गाँव (पहाड़ी, आदिवासी, मरूस्थली क्षेत्रों के लिए) की दर से
3	बी.पी.एल. आवासों में बिजली कनेक्शन की लागत	₹ 2,200 प्रति बी.पी.एल आवास

[3] सी.सी.ई.ए. को भेजे प्रस्ताव प्रावधान में विस्तृत गणना नहीं दर्शायी गयी।

10वीं योजना में पहले से अनुमोदित ₹ 5,000 करोड़ को समायोजित करने के बाद, 11वीं योजना के लिये सब्सिडी की आवश्यकता के लिए, विद्युत मंत्रालय ने ₹ 41,812 करोड़ (₹ 46,812 करोड़ कम ₹ 5,000 करोड़) प्रस्तावित किए गए थे।

यद्यपि योजना आयोग द्वारा 11वीं योजना में संसाधन उपलब्धता के आकलन के आधार पर अनुदान आवश्यकताओं को ₹ 28,000 करोड़ पर ही सीमित कर दिया गया। विद्युत मंत्रालय का प्रस्ताव सी.सी.ई.ए. ने अक्टूबर 2007 में द्वारा अनुमोदित कर दिया था।

10वीं योजना के दौरान, क्रियान्वयन के लिये, 235 परियोजनाओं को ₹ 9,733.35 करोड़ की लागत के साथ अनुमोदित किया गया जबकि 11वीं योजना में क्रियान्वयन के लिए 341 परियोजनाओं को ₹ 16,694.43 करोड़ की लागत से अनुमोदित किया गया। परियोजना की लागत का 90 प्रतिशत भुगतान भारत सरकार द्वारा दी गई पूँजी सब्सिडी और 10 प्रतिशत अंशदान राज्य द्वारा अपने संसाधनों/वित्तीय संस्थानों से ऋण के द्वारा किया गया।

विद्युत मंत्रालय को आर.जी.जी.वी.वाई. के अंतर्गत निधियों के आबंटन का विवरण, बजट अनुमान (बी.ई.)/संशोधित अनुमान (आर.ई.), विद्युत मंत्रालय द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आर.ई.सी. निधियों की निर्मुक्ति, और आगे परिणामस्वरूप आर.ई.सी. द्वारा पी.आई.ए. को 2004–05 से 2011–12 के दौरान दी गई निधियों का ब्यौरा **तालिका 5** में दिया गया है। आर.ई.सी. द्वारा निर्मुक्तियों का राज्यवार ब्यौरा **अनुलग्नक 3** में दिया गया है।

तालिका 5: पूँजी सब्सिडी की निर्मुक्ति

(राशि ₹ करोड़ में)

वर्ष	विद्युत मंत्रालय को राशि का आबंटन (बी.ई)	विद्युत मंत्रालय को राशि का आबंटन (आर.ई.)	विद्युत मंत्रालय द्वारा आर.ई.सी. को निर्मुक्त राशि	आर.ई.सी. द्वारा पी.आई.ए. को निर्मुक्त राशि
2004-06	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,402.60
2006-07	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,014.37
2007-08	3,983.00	3,944.56	3,913.45	3,368.30
2008-09	5,055.00	5,500.00	5,500.00	5,109.58
2009-10	6,300.00	5,000.00	5,000.00	5,987.43
2010-11	5,500.00	5,000.00	5,000.00	3,997.87
2011-12	6,000.00	3,544.00	2,237.31	2,772.22
कुल	**31,338.00**	**27,488.56**	**26,150.76**	**25,652.37**

विद्युत मंत्रालय/आर.ई.सी. द्वारा निर्मुक्ति में कमियों का मुख्य कारण पी.आई.ए. का परियोजनाओं को शुरू करने और कार्यान्वित करने में अपर्याप्त क्षमता का होना था जैसा कि आगे के पैरा 4.3.1 में विवेचित है। पी.आई.ए. ने ₹ 22,510.14 करोड़ (20 मई 2012 तक) के उपयोग को सूचित किया जोकि आर.ई.सी. द्वारा दी गई निधियों का 88 प्रतिशत तथा विद्युत मंत्रालय को आबंटित निधियों का 82 प्रतिशत था। आर.ई.सी. द्वारा पी.आई.ए. को दी गई निधियों की स्थिति और पी.आई.ए. द्वारा फरवरी 2013 तक उपयोग में लायी गयी राशि क्रमशः ₹ 26,034.65 करोड़ और ₹ 24,547.58 करोड़ थी। पी.

आई.ए. द्वारा अप्रयुक्त निधियों का ब्यौरा और असमायोजित ब्याज के संबंध में वित्तीय निहितार्थ की चर्चा बाद में पैरा 4.3.2 और 4.5 में की गई हैं।

1.6. निगरानी

10वीं योजना की परियोजनाओं के लिए कोई विशिष्ट गुणवत्ता नियंत्रण अथवा निगरानी प्रणाली विकसित नहीं की गई थी। जबकि योजना कथित रूप से समवर्ती मूल्यांकन[4] के अधीन थी। 11वीं योजना के दौरान क्रियान्वयन के लिये अपेक्षित रूपान्तर पर एक अवलोकन 10वीं योजना के अंत में एक व्यापक समीक्षा के बाद लिया जाना था।

11वीं योजना के दौरान तीन स्तर की निगरानी प्रणाली को लाया गया। प्रथम स्तर में, कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा तीसरे पक्ष को नियुक्त किया जाना था जो समवर्ती और सतत् आधार पर यह सुनिश्चित करता कि प्रयोग में लायी गई सामग्री और कार्यकुशलता उल्लेखित विशिष्टियों और दिशानिर्देशों के अनुसार थी। द्वितीय स्तर पर आर.ई.सी., आर.ई.सी. गुणवत्ता निगरानीकर्त्ता के रूप में पदनामित मान्यता प्राप्त निरीक्षण अभिकरणों अथवा सेवानिवृत कर्मचारियों से बाह्य सेवा द्वारा कार्यों का निरीक्षण करायेगा। तीसरे स्तर पर योजना का क्रियान्वयन को प्रभावी बनाने के लिये, विद्युत मंत्रालय, राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्त्ता (एन.क्यू.एम.) के रूप में पदनामित स्वतंत्र मूल्यांकनकर्त्ताओं को यादृच्छिक (रेन्डम) निरीक्षण करने के लिए नियुक्त करेगा। निगरानी प्रक्रिया में शामिल करने, रिपोर्टिंग और सुधारात्मक कार्यवाही में कमी की चर्चा आगे पैरा 6.2 में की गई हैं।

[4] दिनाँक 10 फरवरी 2005 के सी.सी.ई.ए. टिप्पणी के अनुसार